भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1156
05.12.2024 को उत्तर के लिए

जंगल की आग

1156. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान में जंगल में आग लगने की घटनाओं में अनुमानत: कितनी वृद्धि/कमी हुई है;
(ख) क्या सरकार ने देश में जंगल में आग लगने के प्रमुख कारणों की पहचान की है;
(ग) जंगल में आग लगने की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय क्षमता निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है; और
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान जंगल में आग लगने के कारण हुए कुल नुकसान की राज्य-वार सूची क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा उपग्रह पर लगे सेंसरों का उपयोग करके देश में दावानल की घटनाओं का पता लगाया जाता है। एफएसआई, देहरादून से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पिछले दावानल के मौसम अर्थात्, नवंबर 2023 से जून 2024 में दावानल की कुल 2,03,544 घटनाएं हुई, जो पिछले दावालन मौसम में रिपोर्ट की गई दावानल की घटनाओं की संख्या अर्थात् 2,12,249 से कम है। पिछले पांच दावानल मौसमों के दौरान देश में हुई दावानल की घटनाओं की कुल संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) प्रत्येक वर्ष मौसमी दावानल की घटनाएं, वनों की स्तह पर सूखी पत्तियों, टहनियों, चीड़ की नुकीली पत्तियों आदि जैसे ज्वलनशील पदार्थों के जमा होने के साथ-साथ विभिन्न प्राकृतिक और मानवजनित कारणों से होती हैं। देश में हुई अधिकांश दावानल की घटनाएँ मानवजनित कारणों से होती हैं। देश में दावानल की घटनाओं की संख्या एक दावानल मौसम से दूसरे दावानल मौसम में भिन्न-भिन्न होती है, जो विभिन्न दावानल कारकों के प्रति वनों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है।

(ग) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय दावानल कार्य योजना-2018 तैयार की है जिसमें दावानल को रोकने और आग के खतरों के प्रति वनों की संवेदनशीलता में सुधार करने के लिए व्यापक उपायों का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दावानल की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट उपाय शुरू करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ-साथ राज्य कार्य योजनाएं भी तैयार करते हैं।

मंत्रालय में वर्तमान में चल रही केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) - 'दावानल निवारण और प्रबंधन' के माध्यम से दावानल की रोकथाम और नियंत्रण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लक्षित प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत अग्नि रेखाओं के सृजन और रखरखाव, वन क्षेत्रों के अंदर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, अग्निशमन उपकरणों की खरीद, दावानल से सुरक्षा के लिए गांवों/समुदायों को प्रोत्साहित करने आदि सहित विभिन्न दावानल रोकथाम और उपशमन गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय, द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून के माध्यम से दावानल मौसम सूचकांक (फायर वेदर इंडेक्स) के आधार पर एक सप्ताह के लिए अग्रिम चेतावनी दी जाती है। इसके अलावा, एमओडीआईएस सेंसरों का उपयोग करते हुए दावानल की नीअर रीयल टाइम (एनआरटी) चेतावनी पंजीकृत उपभोक्ताओं को एसएमएस अलर्ट के रूप में प्रसारित की जाती है ताकि एफएसआई, देहरादून द्वारा बनाए गए वन अग्नि पोर्टल [https://vanagniportal.fsiforestfire. gov.in/fsi_fire/fire.html) पर इसकी लाइव निगरानी के साथ-साथ अलावा दावानल से निपटने के लिए क्षेत्र पर समय पर कार्रवाई की जा सके।

अधिक विनाशकारी दावानल की घटनाएं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य एवं जिला स्तरों पर गठित आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कार्यक्षेत्र में आती हैं। आपदा की स्थिति उत्पन्न करने वाली दावानल की घटनाओं से निपटने के लिए संस्थागत तंत्रों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाओं में उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए उन्हें पहले ही औपचारिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। इस संबंध में, दावानल के लिए संकट प्रबंधन समूहों की स्थापना, हितधारक एजेंसियों और स्थानीय समुदायों को शामिल करके मॉक ड्रिल, दावानल नियंत्रण में राज्य आपदा कार्रवाई बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) को शामिल करने के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स, दावानल की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सामुदायिक जागरूकता और क्षमता संवर्धन आदि जैसे कार्य-कलाप आरंभ किए गए हैं।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) के साथ समन्वय करके बड़े क्षेत्र में फैली दावानल को नियंत्रित करने के लिए एनडीआरएफ की तीन बटालियनों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें 150 कार्मिक शामिल हैं। इन बटालियनों को नई बढ़ती अपेक्षाओं के अनुसार देश में विभिन्न स्थानों पर दावानल को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार तैनात किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, दावानल निवारण और इसका प्रबंधन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

(घ) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, केरल और उत्तराखंड के राज्य वन विभागों से दावानल के मौसम 2021-2022 के लिए और मणिपुर राज्य के दावानल के मौसम 2022-2023 के लिए प्राप्त अनुरोधों के आधार पर दावानल से जले हुए क्षेत्रों का आकलन किया गया था।

दावानल के मौसम 2021-2022 के दौरान केरल में लगभग 85.89 वर्ग किलोमीटर को जले हुए क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया था, और उत्तराखंड में 1781.39 वर्ग किलोमीटर को जले हुए क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया था। मणिपुर राज्य के लिए, लगभग 861.32 वर्ग किलोमीटर जले हुए वन क्षेत्र को दावानल के मौसम 2022-2023 के दौरान रेखांकित किया गया था।

मंत्रालय द्वारा देश में दावानलों के कारण होने वाली आर्थिक क्षतियों का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

'जंगल की आग' के संबंध में श्री एस. निरंजन रेड्डी द्वारा दिनांक 05.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1156 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले 5 दावानल मौसमों में एसएनपीपी-वीआईआईआरएस सेंसरों का उपयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा पता लगाई गई दावानल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (इसमें बड़ी, निरंतर चलने वाली और बार-बार होने वाली दावानल की घटनाएं शामिल हैं)।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसएनपीपी-वीआईआईआरएस जांच				
		नवंबर 2019 से जून 2020 तक	नवंबर 2020 से जून 2021 तक	नवंबर 2021 से जून 2022 तक	नवंबर 2022 से जून 2023 तक	नवंबर 2023 से जून 2024 तक
1.	आंध्रप्रदेश	9,996	19,328	14,138	19,367	18,174
2.	अरूणाचल प्रदेश	1,786	3,914	3,449	2,447	2,053
3.	असम	8,924	10,718	8,158	9,830	7,639
4.	बिहार	614	5,179	3,024	3,793	2,763
5.	छत्तीसगढ़	6,360	38,106	25,792	20,306	18,950
6.	दिल्ली	21	14	3	7	16
7.	गोवा	47	45	20	147	36
8.	गुजरात	2,770	3,803	2,769	2,342	3,182
9.	हरियाणा	68	152	135	82	166
10.	हिमाचल प्रदेश	536	4,110	5,280	704	10,136
11.	झारखंड	2,613	21,713	9,419	11,923	7,525
12.	कर्नाटक	4,232	5,784	4,973	13,074	5,500
13.	केरल	864	296	504	1,550	1,110
14.	मध्य प्रदेश	9,537	47,795	32,728	17,142	15,878
15.	महाराष्ट्र	14,018	34,025	22,052	16,119	16,008
16.	मणिपुर	8,800	10,457	5,544	10,127	4,498
17.	मेघालय	6,762	7,658	6,322	6,604	4,319
18.	मिजोरम	7,361	12,846	8,734	5,798	6,627
19.	नगालैंड	2,905	4,975	3,471	3,882	2,609
20.	ओडिशा	10,602	51,968	22,014	33,461	20,973
21.	पंजाब	153	635	428	119	605
22.	राजस्थान	3,461	3,402	2,703	2,059	4,352
23.	सिक्किम	47	63	26	49	101
24.	तमिलनाडु	1,368	1,220	1,035	1,998	3,380
25.	तेलंगाना	12,132	18,237	13,737	13,117	13,479
26.	त्रिपुरा	4,369	5,015	2,609	4,332	2,089
27.	उत्तर प्रदेश	1,548	8,608	5,428	3,235	4,424
28.	उत्तराखंड	759	21,487	12,985	5,351	21,033
29.	पश्चिम बंगाल	1,320	3,287	1,520	3,096	2,020
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	39	16	33	20	21
31.	चंडीगढ	2	0	0	1	1
32.	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	21	34	18	16	16
33.	जम्मू और कश्मीर			4,255	131	3,829
34.	लद्दाख*	438	1,098	27	20	32
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	1	0	0	0
	कुल योग	**124,473**	**3,45,989**	**2,23,333**	**2,12,249**	**2,03,544**

*नवंबर 2019 से जून 2020, नवंबर 2020 से जून 2021 के दावानल मौसम के लिए लद्दाख में दावानल की घटनाओं की संख्या को जम्मू और कश्मीर की दावानल की घटनाओं की संख्या के साथ जोड़ा गया है।

***